

4957157225

21/10/14 (24) नया 24/10/14

तारीख पेशी	<p style="text-align: center;">बनाम हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर</p> <p>श्री <u>राजेश राय</u> श्री <u>राजेश राय</u></p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी है
22.10.18	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट की अपील में बहस सुनी गई।</p> <p>अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दिनांक 24.09.2014 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखते हुए, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु पेशी दिनांक 20.10.2014 नियत की गई तथा तत्पश्चात प्रार्थना पत्र वास्ते तलबी अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नियत थी इसी दौरान अभिभाषक अपीलांट ने दिनांक 24.09.2014 के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्राथमिक स्तर पर विचाराधीन हैं और प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी होनी शेष हैं। अभिभाषक अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी, जो पोषणीय नहीं हैं किन्तु पक्षकारान के समय एवं व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।</p> <p>सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में अंकित कारण संतोषजनक होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।</p> <p>तत्पश्चात प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट (अस्थायी निषेधाज्ञा) का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">राजेश अपील प्राधिकारी अनवर</p>	<p>Sir पत्रा. 2488 दि. 14/10/14 इसका LC का लावाया गया।</p>